30/8
28/9

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

द०प्र०सं० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम०पी० वाद संख्या–230/2019

प्रथम पक्ष :– 1. अजय कुमार सिंह पिता श्री तेज बहादुर सिंह, सा० क्वाटर न० 1144 सेक्टर 4/ई, बोकारो स्टील सिटी, जिला बोकारो।

–: बनाम् :–

द्वितीय पक्ष :– 1. बलदेव राय पिता कन्हाई राय 2. गुलू राय पिता ठाकुर राय 3. लखी राय पिता बाबुलाल राय सभी सा० दुर्गापुर टोला मदनपुर थाना पिण्ड्राजोरा, जिला बोकारो।

कार्यवाही

पिण्ड्राजोरा, थाना अप्राथमिकी संख्या 42/19 जो पुलिस निरिक्षक चास (मु0) अंचल से अग्रसारीत होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है, जिससे कभी भी विधि–व्यवस्था भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप संबंधित पुलिस पदाधिकरी ने दोनों पक्ष के विरूद्ध द०प्र०स० की धारा 107 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की है ताकि शान्ति–व्यवस्था बनाया जा सके।

अतः उपर्युक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दोनों पक्ष के विरूद्ध धारा 107 द०प्र०स० की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। साथ ही दोनों पक्ष को यह निदेश देता हूँ कि दिनांक 7/8/19 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण–पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि क्यों नहीं एक वर्ष तक शांति बनाये रखने के लिए 5,000.00 (पाँच हजार) रूपये का बन्ध–पत्र समतुल्य राशि को दो प्रतिभुतियों के साथ अर्पित करने का आदेश दिया जाय।

(हस्ताक्षर) 28/7/19

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

7/8/19 सूचना का तामिला प्राप्त।

I & II द्वि० पक्ष के तीन सदस्य का हाजरी है
SR हेतु समय का आवेदन है
प्रथम पक्ष के एक सदस्य का हाजरी है
तथा नाम जोड़ने हेतु आवेदन है।
नाम जोड़ने के संबंध में दिये गए आवेदन
का ~~पुलिस~~ थाना प्रभारी से जाँच करायें।
दि० 30/8/19 को रखें।

(हस्ताक्षर) 07/8/19

30/8/19 प्रथम पक्ष के हाजरी है
माननीय उच्च न्यायालय झा० राँची का कार्यवाहक
मुख्य न्यायमूर्ति के असामयिक निधन के कारण
न्यायिक कार्य से अलग रहें
दिनांक 28/9/19 को रखें

(हस्ताक्षर)

Scanned with OKEN Scanner

28/9/19 प्रथम पक्ष की हाजरी है
द्वि० पक्ष के दो सदस्य का हाजरी है
एक सदस्य का धारा 115 का आवेदन है, S/C हेतु समय का आवेदन है
दिनांक 30/10/19 को रखें

S.D.M
Chas

30/10/19 द्वि० पक्ष के दो सदस्य का हाजरी है
एक सदस्य का धारा 115 का आवेदन है
S/C हेतु समय का आवेदन है।
प्रथम पक्ष की हाजरी है तथा S/C दाखिल किया गया।
दिनांक 27/11/19 को रखें

S.D.M
Chas

27/11/19 उभय पक्ष अनुपस्थित।
दिनांक 22/1/20 को रखें.

S.D.M
Chas

22/1/20 द्वि० पक्ष के दो सदस्य का हाजरी है
S/C हेतु समय का आवेदन है।
प्रथम पक्ष की हाजरी है
1st party present.
2nd party - Gulu Rai absent

1st party
- father ~~party~~ of 1st party handicapped.
- 2nd party opened farm of poultry on land of 1st party.
- Even after mutual agreement not to construct before demarcation, 2nd party still running poultry farm.
- when 1st party visited the land in past, 2nd party threatened by unknown miscreants.

Scanned with OKEN Scanner

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
nd party - the land is khatiyani land of 2nd party - 2nd party has not sold the plot of land. - 2nd party does not know 1st party. - Both parties agree that there is no physical or verbal altercation between the parties. ~~Case~~, Parties can ~~proce~~ take help of Sarkari Ameen and Circle officer for land measurement and identification. Case is dropped Sd/- 27/1/20	

Digitally signed by PRANJAL DHANDA
Date: 2025.08.11 13.38.01 +05:30
Location: 192.168.1.3

Scanned with OKEN Scanner